FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator Of Forest , Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@,

721

कमांक / 728 दिनांक / 15/07/2024

सेवा मे:—

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :— Diversion of 0.1785 ha. of forest land for access permission for transportation of Mining area at Vill. Khanak under Forest Division and Distt. Bhiwani. Proposal no. FP/HR/Approach/146575/2021.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि विषयांकित क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत बिना पूर्वानुमति के यूजर एजेंसी द्वारा वन भूमि के प्रयोग में दोषी कर्मचारियों 1. श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक के विरूद्ध वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार के पत्र कमांक 648 दिनांक 02.07.2024 द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के नियम–7(4बी0) के तहत आरोप पत्र का प्रारूप तैयार करके आपके कार्यालय में भेजा जा चुका है तथा 2. श्री अनिल कुमार, वन दरोगा के विरूद्ध वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार के पत्र कमांक 650 दिनांक 02.07.2024 द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के नियम–7(4बी0) के तहत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
भिवानी।

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड़, नजदीक मिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001

दूरभाष / फैक्स नं0 01662–259489 email address-wstcrcl@yahoo.com

क्रमांक स्थापना / 648 दिनांक 02/07/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंव वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकुला ।

विषय :– आरोप पत्र विरूद्ध – श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक ।

0–0–0

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, भिवानी ने उनके पत्र कमांक 649 दिनांक 14.06.2024 द्वारा खानक में माईनिंग एजैन्सी द्वारा अवैध रूप रास्ते हेतु वन भूमि का प्रयोग करने पर माईनिंग एजैन्सी के विरूद्ध कोई कार्यवाही ना करने के लिये श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा(दण्ड एंव अपील) नियम, 2016 के नियम–7(4बी) के तहत आरोप पत्र प्रारूप अनुलग्नक सहित जारी करने हेतु भेजा है ।

अतः वन मण्डल अधिकारी द्वारा श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा(दण्ड एंव अपील) नियम, 2016 के नियम–7(4बी) के तहत आरोप पत्र प्रारूप अनुलग्नक सहित आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न भेजा जाता है ।

संलग्न / उपरोक्त

वन संरक्षक
पश्चिमी,परिमण्डल,हरियाणा, 01/07
हिसार ।

FCA
3/7/24

BHIWANI FOREST DIV.
RECEIPT
No. 220
Dt. 4/7/24

पृ0कमांकः– 649 दिनांकः– 02/07/2024

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, भिवानी को उनके पत्र कमांक 649 दिनांक 14.06.2024 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

वन संरक्षक
पश्चिमी परिमण्डल,हरियाणा, 01/07
हिसार ।

MEMORANDUM

No._____ Dated_____

1. **Shri Jaipal** Deputy Ranger is hereby informed that it is proposed to take action against him under rule- 7 (4B) of Punishment & Appeal rule H.C.S. 2016 on the grounds set out in enclosed statement of Charges. The charges are based on the statement of allegations appointed the rate.
2. **Shri Jaipal** Deputy Ranger is hereby required to state in writing within a period of 15 days from the receipt of this memorandum by him whether he admire the truths of all or any. On the charges, what explanation or desires to be heard in person.
3. **Shri Jaipal** Deputy Ranger is hereby further informed that if for the purpose of preparing his written statement he wishes to have access to the relevant official's records he would inspect to same in the office of the DFO Bhiwani on any working day after making prior appointment with him. It is, however, pointed out that only such documents will be shown to him as are in the possession of the DFO Bhiwani and as are strict relevant to the case. If in the opinion of the competent authority it is not desirable in the public interest to allow him access to said documents, such access shall be refused. If **Shri Jaipal** Deputy Ranger wishes to consult any other relevant record, which is not in the custody of the DFO Bhiwani It is for him to undertake its inspection. It is, however, made clear to **Shri Jaipal** Deputy Ranger that his failure to inspect the documents shall not constitute a valid ground for delay in the submission of his written statement and if the written statement is not received by the undersigned within the specified period, it shall be presumed that he has none to submit.
4. The written statement should be submitted direct to the undersigned.
5. The receipt of this memorandum with enclosures may be acknowledged.

To,
Shri Jaipal
Through:- DFO, Nuh, Mewat

Punishing Authority

कर्मचारी का विवरण

नाम–		श्री जयपाल
पद	–	उप वन राजिक
वेतनमान	–	FUN-L 6
स्थाई / अस्थाई	–	अस्थाई

दण्डाधिकारी

अभिलेखों की सूचि

1. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 25.01.2023
2. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 26.07.2023
3. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 1584 दिनांक 11.08.2023
4. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 1872 दिनांक 28.08.2023
5. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 840 दिनांक 18.09.2023
6. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023
7. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023
8. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 3086–87 दिनांक 01.01.2024
9. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 3379–80 दिनांक 01.02.2024

दण्डाधिकारी

आरोपों का सूची

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे।
2. कर्तव्यों में कोताही।

दण्डाधिकारी

आरोपों का विवरण

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे:—

कर्मचारी द्वारा अपने जवाब में लिखा गया कि कर्मचारी द्वारा तोशाम रेंज का चार्ज दिनांक 04.01.2022 को लिया गया था उस समय यह रास्ता चालु था। इस भूमि का वास्तविक पता दिनांक 22 व 23 सितम्बर 2021 को राजस्व विभाग से पैमाईश करवाने के बाद ही पता चला कि यहां पर 38 कनाल 5 मरला वन भूमि के अन्दर से 1959 वर्ग मी0 में यह रास्ता बनाया हुआ है। उस समय तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही क्षति रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2024 सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्व चाक की गई। कर्मचारी ने लिखा है कि इसके पश्चात माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरूक्षेत्र में अभियोजन केस दायर करने हेतू सहायक जिला न्यायालय से सम्पर्क किया गया तो उन्होनें यह आपत्ति लगाई कि क्षति रिपोर्ट एक सरकारी अधिकारी के विरूद्व जारी की गई है, जिसके लिए सरकार से पूर्वानूमति ली जाए, परन्तु मण्डल कार्यालय के रिकार्ड अनुसार वन राजिक अधिकारी तोशाम श्री जयपाल, उप वन राजिक ने कोई सूचना मण्डल कार्यालय में नहीं दी कि केसदायर करने में कोई आपत्ति लगाई गई है। कर्मचारी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है वह तथ्यों से भिन्न पाया गया क्योंकि मण्डल कार्यालय के रिकार्ड अनुसार भारत सरकार ने उनके पत्र कमांक दिनांक 25.01.2023 पत्र कमांक दिनांक 26.07.2023 द्वारा मामले में कार्यवाही ना करने बारे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करने बारे लिखा गया है ना कि मामले में पी0सी0 केस दायर करने बारे। यदि भारत सरकार द्वारा पी0सी0 केस दायर करने बारे निर्देश भी दिए गए थे तो उसके पश्चात भी वन राजिक अधिकारी, तोशाम श्री जयपाल द्वारा लगभग 1 साल बाद पी0सी0 केस दायर किया गया। जबकि वन राजिक अधिकारी, तोशाम का कर्तव्य बनता था कि क्षति रिपोर्ट चाक करने के पश्चात सम्बन्धित माईनिंग ऐजेंसी के विरूद्व अतिकमण किए जाने के कारण पी0सी0 केस दायर किया जाए, परन्तु वन राजिक अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके पश्चात वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1584 दिनांक 11.08.2023 द्वारा वन राजिक अधिकारी, तोशाम को पत्र जारी किया गया कि आप द्वारा किसके आदेशों से सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी को माईनिंग क्षेत्र से परिवहन के लिए रास्ता दिया हुआ है तथा इस बारे आप द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण सूचना भेजने बारे वन राजिक अधिकारी, तोशाम को निर्देश दिए गए, परन्तु श्री जयपाल, उप वन राजिक, वन राजिक

अधिकारी, तोशाम द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई। सूचना प्राप्त ना होने पर वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 28.08.2023 द्वारा वन राजिक अधिकारी, तोशाम को लिखा गया कि आप द्वारा वन अपराधी के खिलाफ पी0सी0 केस दायर करने बारे क्या कार्यवाही की गई? इस बारे भी पूर्ण सूचना मण्डल कार्यालय में भेजें, परन्तु वन राजिक अधिकारी, तोशाम द्वारा मण्डल कार्यालय में इस बारे कोई सूचना नहीं दी गई। जिसके कारण उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री जयपाल, उप वन राजिक को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्यवाही ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर्मचारी द्वारा कोई जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023, पत्र क्रमांक 3086–87 दिनांक 01.01.2024, पत्र क्रमांक 3379–80 दिनांक 01.02.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए। श्री जयपाल, उप वन राजिक, तत्कालीन वन राजिक अधिकारी, तोशाम द्वारा मण्डल कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्रों का, कि सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई? तथा जारी क्षति रिपोर्ट में पी0सी0 केस लगाने बारे क्या कार्यवाही की गई? कोई जवाब नहीं दिया गया।

इसके अतिरिक्त मण्डल कार्यालय भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन रक्षक द्वारा वन अपराध रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 को तो चाक कर दी गई थी, परन्तु उपरोक्त सम्बन्ध में अभियोजन केस वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र क्रमांक 387 दिनांक 13.09.2023 को लगभग 1 वर्ष 7 माह बाद स्वीकृति हेतू मण्डल कार्यालय में प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त ही केस माननीय पर्यावरण न्यायालय में दायर किया गया। रिकार्ड अनुसार वन राजिक अधिकारी, तोशाम ने इससे पूर्व कोई सूचना पी0सी0 केरा दायर करने से सम्बन्धित मण्डल कार्यालय में नहीं दी। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति से **माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाना तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे आरोप नं0 1 कर्मचारी पर प्रथम दृष्टि से लागु होता है।**

2. <u>कर्तव्य में कोताही:–</u>

श्री जयपाल, उप वन राजिक ईन्चार्ज तोशाम रेंज द्वारा माईनिंग कम्पनी से मिलीभगत करके वन भूमि के रास्ते का अवैध प्रयोग करवाया गया है तथा समय पर पी0सी0 केस भी दायर

नहीं किया गया। अतः उपरोक्त पूर्ण वर्णित स्थिति अनुसार कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाहन नहीं किया। आरोप नं0 2 कर्मचारी पर प्रथम दृष्टि से लागू होता है।

दण्डाधिकारी

MEMORANDUM

No._____ Dated_____

1. **Shri Anil Kumar** Forester is hereby informed that it is proposed to take action against him under rule- 7 (4B) of Punishment & Appeal rule H.C.S. 2016 on the grounds set out in enclosed statement of Charges. The charges are based on the statement of allegations appointed the rate.
2. **Shri Anil Kumar** Forester is hereby required to state in writing within a period of 15 days from the receipt of this memorandum by him whether he admire the truths of all or any. On the charges, what explanation or desires to be heard in person.
3. **Shri Anil Kumar** Forester is hereby further informed that if for the purpose of preparing his written statement he wishes to have access to the relevant official's records he would inspect to same in the office of the DFO Bhiwani on any working day after making prior appointment with him. It is, however, pointed out that only such documents will be shown to him as are in the possession of the DFO Bhiwani and as are strict relevant to the case. If in the opinion of the competent authority it is not desirable in the public interest to allow him access to said documents, such access shall be refused. If **Shri Anil Kumar** Forester wishes to consult any other relevant record, which is not in the custody of the DFO Bhiwani It is for him to undertake its inspection. It is, however, made clear to **Shri Anil Kumar** Forester that his failure to inspect the documents shall not constitute a valid ground for delay in the submission of his written statement and if the written statement is not received by the undersigned within the specified period, it shall be presumed that he has none to submit.
4. The written statement should be submitted direct to the undersigned.
5. The receipt of this memorandum with enclosures may be acknowledged.

To,

Shri Anil Kumar Forester
Through:- DFO, Bhiwani

Punishing Authority
West Circle, Haryana
HISAR

<u>कर्मचारी का विवरण</u>

नाम–		श्री अनिल कुमार
पद	–	वन दरोगा
वेतनमान	–	FUN-L 6
स्थाई / अस्थाई	–	अस्थाई

Cदण्डाधिकारीof Forests
West Circle, Haryana.
HISAR

अभिलेखों की सूचि

1. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 25.01.2023
2. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 26.07.2023
3. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 840 दिनांक 18.09.2023
4. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2513–15 दिनांक 19.10.2023
5. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र कमांक 2585–87 दिनांक 08.11.2023

दण्डाधिकारी
Conservator of Forests
West Circle, Haryana.
HISAR

आरोपों का सूची

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे।
2. कर्तव्यों में कोताही।

दण्डाधिकारी
Conservator of Forests
West Circle, Haryana.
HISAR

आरोपों का विवरण

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे:-

वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2513--15 दिनांक 19.10.2023 द्वारा श्री अनिल कुमार, वन दरोगा को गांव खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे व चाक की गई क्षति रिपोर्ट पर कार्यवाही ना करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर्मचारी द्वारा कोई जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके उपरान्त वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ने उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2585--87 दिनांक 08.11.2023 द्वारा स्मरण पत्र जारी किए गए। श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ने वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र कमांक 566 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अपना जवाब मण्डल कार्यालय, भिवानी में प्रस्तुत किया तथा वन संरक्षक, हिसार के कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब कर्मचारी द्वारा वन राजिक अधिकारी, भिवानी के पत्र कमांक 181 दिनांक 27.05.2024 द्वारा भिवानी मण्डल में प्रस्तुत किया गया जिसमें लिखा कि कर्मचारी द्वारा सरल ब्लॉक का चार्ज दिसम्बर 2021 में लिया गया था उस समय यह रास्ता चालु था। इस भूमि का वास्तविक पता दिनांक 22 व 23 सितम्बर 2021 को राजस्व विभाग से पैमाईश करवाने के बाद ही पता चला कि यहां पर 38 कनाल 5 मरला वन भूमि के अन्दर से 1959 वर्ग मी0 में यह रास्ता बनाया हुआ है। उस समय तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही क्षति रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2024 सम्बन्धित माईनिंग कम्पनी के विरूद्व चाक की गई। श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ने लिखा है कि इसके पश्चात माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरूक्षेत्र में अभियोजन केस दायर करने हेतू सहायक जिला न्यायालय से सम्पर्क किया गया तो उन्होनें यह आपत्ति लगाई कि क्षति रिपोर्ट एक सरकारी अधिकारी के विरूद्व जारी की गई है, जिसके लिए सरकार से पूर्वानूमति ली जाए, परन्तु मण्डल कार्यालय के रिकार्ड अनुसार श्री अनिल कुमार, वन दरोगा ने कोई सूचना मण्डल कार्यालय में नहीं दी कि केस दायर करने में कोई आपत्ति लगाई गई है। कर्मचारी द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है वह तथ्यों से भिन्न पाया गया क्योंकि मण्डल कार्यालय के रिकार्ड अनुसार भारत सरकार ने उनके पत्र कमांक दिनांक 25.01.2023 पत्र कमांक दिनांक 26.07.2023 द्वारा मामले में कार्यवाही ना करने बारे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्व

कार्यवाही करने बारे लिखा गया है ना कि मामले में पी0सी0 केस दायर करने बारे। यदि भारत सरकार द्वारा पी0सी0 केस दायर करने बारे निर्देश भी दिए गए थे तो उसके पश्चात भी वन दरोगा श्री अनिल द्वारा लगभग 1 साल बाद पी0सी0 केस दायर किया गया। जबकि श्री अनिल कुमार, वन दरोगा का कर्तव्य बनता था कि क्षति रिपोर्ट चाक करने के पश्चात सम्बन्धित माईनिंग ऐजेंसी के विरूद्व अतिक्रमण किए जाने के कारण पी0सी0 केस दायर किया जाए, परन्तु श्री अनिल कुमार, वन दरोगा द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त मण्डल कार्यालय भिवानी के रिकार्ड अनुसार वन रक्षक द्वारा वन अपराध रिपोर्ट संख्या 069/0702 दिनांक 24.02.2022 को तो चाक कर दी गई थी, परन्तु उपरोक्त सम्बन्ध में अभियोजन केस वन राजिक अधिकारी, तोशाम के पत्र क्रमांक 387 दिनांक 13.09.2023 को लगभग 1 वर्ष 7 माह बाद स्वीकृति हेतू मण्डल कार्यालय, भिवानी में प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त ही केस माननीय पर्यावरण न्यायालय में दायर किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति से माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतू वन भूमि का प्रयोग करवाना तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे आरोप नं0 1 श्री अनिल कुमार, वन दरोगा पर प्रथम दृष्टि से लागु होता है।

2. <u>कर्तव्य में कोताही:-</u>

श्री अनिल कुमार, वन दरोगा तत्कालीन ईन्चार्ज सरल ब्लॉक द्वारा माईनिंग कम्पनी से मिलीभगत करके वन भूमि के रास्ते का अवैध प्रयोग करवाया गया है तथा समय पर पी0सी0 केस भी दायर नहीं किया गया। अतः उपरोक्त पूर्ण वर्णित स्थिति अनुसार कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाहन नहीं किया। आरोप नं0 2 श्री अनिल कुमार, वन दरोगा पर प्रथम दृष्टि से लागू होता है।

दण्डाधिकारी
Conservator of Forests
West Circle, Haryana,
HISAR